न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ. टी. सी / महिला आजमगढ़।

परिवाद सं०-3288/22

कुसुम बनाम रामनिवास आदि।
थाना- बिलरियागंज, आजमगढ़।

दिनांक- 04.08.2023

01- पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

02- परिवादिनी/ परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सुनवायी के लिए उनकी ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

03- परिवादिनी एवं विपक्षी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। परिवादिनी / परिवादी द्वारा न्यायालय के आदेश उपरान्त कोई पैरवी नहीं की गयी है। परिवादिनी / परिवादी का यह कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक है।

04- न्यायालय द्वारा न्यायहित में परिवादिनी / परिवादी को पूर्व तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिनांक **22.05.2023** को अंतिम अवसर प्रदान किया था। तत्पश्चात परिवादिनी / परिवादी का न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि परिवादिनी / परिवादी की उक्त परिवाद में कोई रूचि नहीं है।परिवादिनी / परिवादी के इस कृत्य से न्यायालय का बहुमूल्य समय अकारण नष्ट हो रहा है।

05- अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादिनी / परिवादी की अनुपस्थित में एवं पैरवी के अभाव में प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं0 3288/22 परिवादिनी / परिवादी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ.टी.सी./महिला

आजमगढ़।